रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1956] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2013/श्रावण 31, 1935
No. 1956] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2013/SHRAVANA 31, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2013

का.आ. 2555(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम,1986 (1986 का 29) की और धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 60 (अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना कहा गया है) द्वारा केंद्रीय सरकार ने जब तक कि उस सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति मंजूरी न दे दी गई हो तब तक किसी परियोजना के आरंभ किए जाने वाले क्रियाकलाप या नई परियोजना के संबंध में विस्तार और आधुनिकीकरण के संबंध में कतिपय रूप से निर्बंधित और प्रति-ोध अधिरोपित करती है ।

2. और, उपरोक्त उक्त अधिसूचना को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 356 (अ), तारीख 4 मई, 1994 द्वारा और संशोधित किया गया था और उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के (iii) के खंड (ग) यह उपबंध करता है कि -

"दी गई अनापत्ति, संनिर्माण या संक्रिया के प्रारंभ होने से पांच व-र्ा की अवधि के लिए विधिमान्य होगी" ।

3: और केंद्रीय सरकार का आशय यह रहा है और सदैव यह रहा है कि पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की विधिमान्यता, संनिर्माण या प्रचालन के प्रारंभ "के लिए" पांच व-र्ा है और न कि संनिर्माण या प्रचालन के आरंभ से पांच व-र्ा के लिए है ।

4. और, उक्त अधिसूचना का. आ. 60, तारीख 27 जनवरी, 1994 और उसके पश्चात्वर्ती संशोधन भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा अधिक्रांत किए गए थे । उक्त अधिसूचना का पैरा 9 अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबद्ध करता है कि संनिर्माण परियोजनाएं जिसको पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के लिए आवेदन भेजा जाता है, के मामले में परियोजना या क्रियाकलाप द्वारा उत्पादन, प्रचालन के आरंभ करने को पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति मंजूर की जाती है ।

5. और किसी परियोजना या क्रियाकलाप के लिए नदी घाटी परियोजनाओं की दशा में दस व-र्ा की अवधि के लिए विशे-ाज्ञ आकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशे-ाज्ञ आकलन समिति द्वारा यथा प्रक्कलित परियोजना की अवधि खनन परियोजनाओं के लिए अधिकतम तीस व-र्ा के लिए और अन्य सभी अन्य परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में पांच व-र्ा होगी और इस प्रकार केंद्रीय सरकार का आशय पूर्ण रूप से यह संप्रेक्षित था कि पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की विधिमान्यता संनिर्माण या प्रचालन " के लिए" थी न कि संनिर्माण या प्रचालन के प्रारंभ " होने से" थी ।

6. और, शंकर रघुनाथ जोग और अन्य बनाम तलालुकर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में रिट याचिका संख्या, 2011 का 6 में तारीख 12 अगस्त, 2011 के आदेश में गोवा स्थित बंबई उच्च न्यायालय ने उक्त अधिसूचना और उसके संशोधनों का निर्वचन करते समय यह अभिनिर्धारित किया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की विधिमान्यता खनन परियोजनाओं के प्रचालन या परियोजना के विस्तार के प्रारंभ की तारीख से पांच व-र्ा की अवधि के लिए है ।

7. और, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने तारीख 12 अगस्त, 2011 के आदेश के विरुद्ध भारत संघ शंकर रघुनाथ जोग के मामले में विशे-ा इजाजत याचिका (सी सी 20925/2012) की है और इस बीच अधिसूचना संख्यांक का.आ. 356 (अ), तारीख 4 मई, 1994 की अधिसूचना के पैरा २ के उप-पैरा (iii)के खंड (ग) के वि-ाय में स्प-टीकारक अधिसूचना जारी की जानी है ।

8. और, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 356 (अ), तारीख 4 मई, 1994 के अधीन चल रही हजारों परियोजनाओं के संबंध में जारी की गई पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की विधिमान्यता पर बंबई उच्च न्यायालय के ऊपर वर्णित आदेश द्वारा संनिर्माण या प्रचालन के प्रारंभ की तारीख से केवल पांच व-र् की पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की विधिमान्यता का निर्वचन करने के कारण प्रकट हुई असंगत स्थिति और पारिणामिक प्रतिप्रभाव को दूर करने के लिए स्प-टीकरण जारी करने का विनिश्चय किया है ।

9. अतः अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (xiv) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 4 मई, 1994 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 356(अ) तारीख 4 मई, 1994 में यह स्प-ट करती है कि "से पांच व-र् की अवधि के लिए" पद से "संनिर्माण या प्रचालन के प्रारंभ के लिए पांच व-र् की अवधि के लिए और न कि संनिर्माण या प्रचालन के प्रारंभ से पांच व-र्" अभिप्रेत होगा ।

[फा. सं. एल-11011/12/2011-आईए-II(एम) पार्ट)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2013.

S.O. 2555(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 60(E), dated the 27th January, 1994 (hereinafter referred to as the said notification), issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub- rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government imposed certain restrictions and prohibitions on the expansion and modernisation of any activity or the undertaking of any project unless environmental clearance has been granted by that Government.

2. And whereas the above said notification was further amended vide notification number S.O. 356(E), dated the 4th May, 1994. Clause (c) of sub-paragraph (III) of paragraph (2) of the said notification provides that—

"the clearance granted shall be valid for a period of five years from commencement of the construction or operation".

3. And whereas the intent of the Central Government has been and has always been that the validity of the environmental clearance is five years "for" commencement of the construction or operation and not that the environment clearance is only for five years "from" the commencement of construction or operation.

4. And whereas the said notification S.O. 60(E), dated the 27th January, 1994 and subsequent amendments thereto were superseded by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006. Para 9 of the said notification, interalia, stipulates that prior environmental clearance is granted to the start of production operations by the project or activity, or completion of all construction operations in case of construction projects to which the application for prior environmental clearance refers.

5. And whereas the prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects, project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and five years in the case of all other projects

and activities and as such conveying the intent of the Central Government all through that the validity of the environment clearance was "for" construction or operation and not "from" commencement of the construction or operation.

6. And whereas the High Court of Bombay, at Goa in its order dated the 12th August, 2011 in Writ Petition no. 6 of 2011 in the matter of Shankar Raghunath Jog and Ors. vs. Talaulicar and Sons Pvt. Ltd. and Ors. while interpreting the provisions of the said notification and amendments thereof has held that the validity of the Environmental Clearance granted by the Ministry of Environment and Forests is for a period of five years from the date of the commencement of the operation of the mining projects or expansion of the project.

7. And whereas the Ministry of Environment and Forests has preferred a Special Leave Petition (cc 20925/2012)- in the matter of Union of India vs. Shankar Raghunath Jog and Anr. against the order dated the 12th August, 2011 and meanwhile to issue a clarificatory notification with respect to clause (c) of sub-paragraph (III) of paragraph (2) of notification number S.O. 356 (E), dated the 4th May, 1994.

8. And whereas the Central Government has decided to issue a clarification in order to remove the anomalous situation emerged due to the interpretation held by the aforementioned order of the High Court of Bombay in construing the validity of the Environmental clearance merely five years from the date of the commencement of the construction or operation and consequential repercussions on the validity of environment clearance issued to several thousand ongoing projects under notification number S.O. 356 (E), dated the 4th May, 1994.

9. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (xiv) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with sub-rule (4) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government hereby clarifies that in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 356 (E), dated the 4th May, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th May, 1994 the expression "for a period of five years", shall mean "for a period of five years for commencement of the construction or operation and not five years from commencement of the construction or operation".

[F. No. L-11011/12/2011-IA-II(M)-Part)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.